

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(5) 2024-25/नाबार्ड-4/विकास/प्रमुखसं/ 2609

दिनांक: 29 05
2024

कार्यालय आदेश

नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXVI, Phase-IV) के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक के विभिन्न पैकेज के अन्तर्गत संपादित वन विकास कार्य हेतु संलग्न परिशिष्ट I से III के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कमिटेड वन विकास कार्य हेतु कुल राशि रूपये 452.41 लाख का बजट आवंटन किया जाता है। आवंटित राशि का परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

1. नाबार्ड योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना के अनुरूप कार्यो का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. उक्त आवंटन में भौतिक लक्ष्यो का अंकन आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/उपलब्धि के आधार पर किया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो विवरण सहित 10 जून 2024 तक अनिवार्य अवगत करावे।
3. उक्त आवंटन में यदि किसी मद में राशि का उपयोग संभव नहीं है अथवा बचत हो तो वह राशि इस कार्यालय को आवंटन के दिनांक से एक माह के अन्दर समर्पित कर दी जावे।
4. परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वीकृत कार्यो पर की गई राशि का उपयोग जिन कार्यो के लिये राशि आवंटित की गई है उन्हीं पर व्यय की जावे।
5. राशि का उपयोग करते समय नाबार्ड द्वारा स्वीकृति NB SPD/2271/RIDF-XXVI (Rajasthan)/ 64thISC/ 2020-21 Dated 24-09-2020 में दिये गये सुझावों तथा ऋण जिन शर्तो पर लिया गया है उसकी पालना सुनिश्चित की जावे। इसके साथ ही इस कार्यालय एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे।
6. परियोजना की राशि में से संस्थापन तथा किराये के वाहन, वाहनों का कय तथा उनके रखरखाव आदि पर व्यय नहीं किया जाकर उपलब्ध स्टॉफ एवं संसाधनों का ही उपयोग किया जावे।
7. परियोजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी गतिविधि एवं कार्यो पर व्यय नहीं किया जावे जो प्रतिबंधित हो/अन्य योजनाओं में शामिल हो अथवा क्रियान्वित करवाई जा चुकी हो/करवाई जा रही हो।
8. प्रत्येक विकास कार्य का प्राक्कलन बना कर ही कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. परियोजना की प्रगति समयबद्ध तरीके से की जाकर इस कार्यालय एवं राज्य सरकार को समय समय पर सूचित किया जावे।
10. परियोजना अन्तर्गत किये गये वन विकास कार्यो को ई-ग्रीन वॉच की साईट पर अपलोड करने के उपरांत ही राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. आवंटित राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जावे। व्यय करते समय RTTP Act/Rules की पालना भी सुनिश्चित की जावे।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प01 (2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2005 दिनांक 13.12.13 द्वारा विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। इस योजना का पूर्ण समन्वयन तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रक्रियाओ की पालना कराने की उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक गण का होगा। अतः समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का क्रियान्वयन परियोजना के अनुसार करवाने की सुनिश्चितता करे।
13. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण वन विकास कार्यो का पूर्ण रिकार्ड व वन सुरक्षा समितियों के स्तर पर संधारित किये जाने वाले रिकार्ड संधारण की पूर्ण सुनिश्चितता करवायेगे।
14. मुख्य वन संरक्षक गण प्रतिमाह उप वन संरक्षक गण की बैठक आयोजित कर योजना की गतिविधियों का पैकेजवार क्रियान्वयन सुनिश्चितता करवायेगे।

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 21(5) 2024-25 / नाबार्ड-4 / विकास / प्रमुवसं / 2610 - 54
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक: 29/05/2024

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/जयपुर/भरतपुर/वन्य जीव, जयपुर/ वन्य जीव, उदयपुर/ वन्य जीव, कोटा/ वन्य जीव, आर.टी.आर, सवाई माधोपुर /वन्यजीव सरिस्का
3. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, दौसा, अलवर, कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड, अजमेर, टोक, उदयपुर, उदयपुर (उत्तर), चित्तौडगढ, प्रतापगढ, सिरौही, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, /वन्यजीव कोटा/ मुकन्दरा राष्ट्रीय पार्क, कोटा/ वन्यजीव, राजसमंद/ आर.टी.आर.-। सवाई माधोपुर/ आर.टी.आर.-।। करौली/सरिस्का, अलवर/वन्यजीव, उदयपुर/वन्यजीव, चित्तौडगढ/ NCS धोलपुर / RVTR बूंदी
5. कम्प्यूटर अनुभाग वन विभाग, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. कनिष्ठ लेखाकार, विकास अनुभाग / सूचना सहायक, (विकास अनुभाग) कार्यालय हाजा
7. प्रभारी अंक मिलान (लेखा शाखा)/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/रक्षित पत्रावली
संलग्न:- उक्तानुसार

(सेडूराम यादव)
मुख्य वन संरक्षक (आयोजना)
राजस्थान, जयपुर

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR
BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2024-25

BUDGET HEAD : DEMAND NO. 9 (CAPITAL) STATE PLAN

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

01-वानिकी

102-समाज तथा फार्म वानिकी

(14)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARYA

16-लघु निर्माण कार्य

परिशिष्ट-I

| S. NO. | TYPE OF WORK | UNIT | Actual UNIT COST (IN RS.) | Phy. In unit. | | | | | | | | | | | | Fin.in Lacs | | | | | |
|--------|--|------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|----------------|------|----------------|------|---------------------|------|--------------|------|-------------|-------|------------|-------|--------------|-------|
| | | | | CCF, Ajmer | | | | | | CCF, Bharatpur | | | | | | CCF, Jaipur | | | | CCF, Jodhpur | |
| | | | | DCF, Ajmer | | DCF, Tonk | | DCF, Bharatpur | | DCF, Karauli | | DCF, Sawai Madhopur | | DCF, Dholpur | | DCF, ALWAR | | DCF, DAUSA | | DCF, Sirohi | |
| Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | | | | |
| | PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintenance III rd year) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 2224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 2220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 2216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Panchayat Land Plantation | Ha. | 1818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 75 | 1.57 | 150 | 3.33 | 200 | 4.44 | 150 | 3.33 | 150 | 3.33 | 300 | 6.66 | 250 | 5.54 | 225 | 4.89 | | |
| | PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintenance II nd year) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 2224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 2214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 2216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Panchayat Land Plantation | Ha. | 1818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 100 | 2.21 | 100 | 2.22 | 100 | 2.22 | 150 | 3.32 | 150 | 3.32 | 200 | 4.43 | 200 | 4.43 | 250 | 5.34 | 475 | 10.42 |
| | GRAND TOTAL | | | | 3.78 | | 5.55 | | 6.65 | | 8.86 | | 6.65 | | 7.76 | | 11.09 | | 10.88 | | 15.32 |

Shikha Mehra
(Shikha Mehra)
Addl. Principal Chief Conservator of Forest (Dev.)
Rajasthan, Jaipur

**OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, RAJASTHAN, JAIPUR
BUDGET ALLOCATION UNDER NABARD RIDF -XXVI PHASE - IV PROJECT FOR YEAR 2024-25**

BUDGET HEAD : DEMAND NO. 30 (CAPITAL) STATE PLAN

4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परियोजना

परिशिष्ट-III

796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(16)-NABARD KE SAHYOG SE VANIKARAN KARYA

16-लघु निर्माण कार्य

| S. NO. | TYPE OF WORK | UNIT | Phy. In unit. | | Fin. in Lacs | | CCF, UDAIPUR | | | | GRAND TOTAL | | |
|---|---|------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------|-------------|-------------|--------------|
| | | | UNIT COST (IN RS.) | | DCF, Udaipur(N) | | DCF, Udaipur | | DCF, Pratapgarh | | Phy. | Fin. | |
| | | | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | | | | | |
| | | | | | | | | | Phy. | Fin. | Phy. | Fin. | |
| PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintenance IIIrd year) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | | | 150 | 3.34 | | | | | | 150 | 3.34 |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | | | 100 | 2.22 | 100 | 2.22 | | | | 200 | 4.44 |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 100 | 2.22 | 150 | 3.32 | 100 | 2.22 | | | | 350 | 7.76 |
| | TOTAL | | 100 | 2.22 | 400 | 8.88 | 200 | 4.44 | | | | 700 | 15.53 |
| PACKAGE 1 : AFFORESTATION (Maintenance II nd year) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Rehabilitation of Degraded Forests - I | Ha. | 100 | 2.22 | 150 | 3.34 | 100 | 2.22 | | | | 350 | 7.78 |
| 1.2 | Rehabilitation of Degraded Forests - II | Ha. | 300 | 6.64 | 300 | 6.64 | 200 | 4.43 | | | | 800 | 17.71 |
| 1.3 | Assisted Natural Regeneration | Ha. | 250 | 5.54 | 200 | 4.43 | 250 | 5.54 | | | | 700 | 15.51 |
| | TOTAL | | 650 | 14.41 | 650 | 14.41 | 550 | 12.19 | | | | 1850 | 41.01 |
| | GRAND TOTAL | | | | | 23.29 | | 16.63 | | | | | 56.54 |

Shikha
(Shikha Mehra)

**Addl. Principal Chief Conservator of Forest (Dev.)
Rajasthan, Jaipur**